न्यायालयः— विशेष सत्र न्यायाधीश शहडोल ,जिला शहडोल(म0प्र0)
(पीठासीनः— बी0एल0प्रजापति)

Registration No.	S.T. no.127/2012
CNR No.	MP 18010001122012
Fiiling No.	953/2012
Registration Date	30.05.2012

.....निर्णय .....
//आज दिनांक— 07.02.2023 को घोषित//

शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष.	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना जैतपुर जिला — शहडोल (म0प्र0)
अभियोजन अधिकारी	अपर लोक अभियोजक श्री शिवकांत त्रिपाठी
अभियुक्त का नाम,आ व पता	राजेन्द्र बरगाही उम्र करीब 48 वर्ष, आत्मज श्री लल्ला सिंह बरगाही, पेशा—खेती, निवासी ग्राम व पोस्ट कोल्हुआ, थाना जैतपुर, जिला शहडोल (म0प्र0)
अधिवक्ता	श्री रवि प्रकाश शुक्ला एडवोकेट।

FORM-B

घटना दिनांक	13.07.2011
प्रथम सूचना दिनांक	16.02.2012
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	10.05.2012
आरोप विरचित दिनांक	23.07.2012
अभियोजन साक्ष्य समाप्ति दिनांक	14.09.2022
बचाव साक्ष्य समाप्ति दिनांक	02.12.2022
अंतिम तर्क पश्चात निर्णय हेतु निर्धारित दिनांक	07.02.2023
निर्णय दिनांक दण्डादेश दिनांक यदि कोई हो	07.02.2023 07.02.2023

अभियुक्त का विवरण

Rank of The Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence charged with	Whether Acquitted or Convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for Purpose of section 428,Cr.C.P.

A1	**राजेन्द्र बरगाही**	17.02.2012	11.10.2012	धारा– 380, 420, 467,472 एवं 471 भा0दं0सं0	आरोपित सभी अपराध में दोषसिद्ध।	निर्णय के पैरा 64 अनुसार।	07 माह 24 दिवस।

अभियोजन साक्षियों की सूची–

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (Eye Witness,Police Winess,Expert Witness,Medical Witness,Panch Witness,Other Witness)
PW-1	महिपाल सिंह	अभियोगी/रिपोर्टकर्ता
PW-2	दीपू तिवारी	आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक का साक्षी, पक्ष विरोधी.
PW-3	बसंत कुमार	अभियोगी का समर्थित साक्षी।
PW-4	मुन्नी बाई	सरपंच, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW-5	जगदीश प्रधान	सचिव, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW-6	शोभेलाल	सरपंच, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW-7	रूकमन बाई	अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW8	बाबू सिंह	सचिव, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW9	मान सिंह पाव	सचिव, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW10	शोभेलाल सिंह	सरपंच, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW11	पुरषोत्तम बैगा	आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक का साक्षी, पक्ष विरोधी.
PW12	जयप्रकाश नापित	सचिव, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW13	मुन्नी बाई	सरपंच, अभियोजन का समर्थित साक्षी।
PW14	एस0एन0पी0वर्मा	जब्ती का पुलिस साक्षी।
PW15	जी0के0शाडिल्य	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं कार्यवाही का साक्षी।
PW16	ए0के0पौराणिक	दस्तावेज परीक्षक साक्षी।
PW17	मान सिंह मरावी	शाखा प्रबंधक, अभियोजन का समर्थित साक्षी।

बचाव साक्षी यदि कोई हों तो–

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (Eye Witness,Police Winess,Expert Witness,Medical Witness,Panch Witness,Other Witness)
	निरंक	

न्यायालय में प्रदर्शित दस्तावेज सूची अभियोजन /बचाव –

A- अभियोजन पक्ष–

कमांक	प्रदर्श कमांक	दस्तावेज विवरण
1	प्रदर्श पी.1, 2, 3, 4, 5सी, 6सी, 7, 8 (अ.सा.1)	लिखित रिपोर्ट, नक्शा मौका, जब्ती पत्रक, कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, ग्राम पंचायत की पास बुक की छायाप्रति एवं चेक क037640 व प्रस्ताव।

2	प्रदर्श पी.9, पी.10, पी.11 (अ.सा.2) एवं (अ.सा.11)	आरोपी का मेमोरेण्डम कथन, जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक.
3	प्रदर्श पी.12,13, 14सी, 15सी, 16 एवं 17 (अ.सा.5)	कार्यवाही रजिस्टर का जब्ती पत्रक, कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं रोकड़ वही की सत्यापित प्रति, चेक एवं प्रस्ताव रजिस्टर।
4	प्रदर्श पी. 1, 4, 5सी, 6, 7, 8, 20, 27 लगायत 37 (अ.सा.6) (अ.सा.10)	उक्त प्रदर्शित पत्रों में हस्ताक्षर करने का साक्षी।
5	प्रदर्श पी0 23, 24, 27 लगायत 34 (अ.सा.7)	नमूना हस्ताक्षर, कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने का साक्षी।
6	प्रदर्श पी.2, 7, 19, 20, 21, 22 (अ.सा.8)	चेक गुमने की सूचना थाने में दिया जाना, चेक की जब्ती एवं चेक क0 37639, 16200
7	प्रदर्श पी023, 24, 25सी, 26सी (अ.सा.9)	चेक में हस्ताक्षर करने एवं कैश बुक एवं कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति
8	प्रदर्श पी0 27 एवं 28सी, 29सी (अ.सा.12)	जब्ती पत्रक एवं कैशबुक में हस्ताक्षर करने तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर में ग्राम पंचायत साखी के बचत खाता का स्टेटमेंट का साक्षी।
9	प्र0पी019, 30, 31 एवं 32 लगायत 36 (अ.सा.13)	पंचायत के प्रस्ताव, हस्ताक्षर नमूना व हस्तलिपि।
10	प्र0पी0 37 एवं 7, 8 (अ.सा.14)	जब्ती पत्रक तथा दस्तावेज।
11	प्र0पी038, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 लगायत 51 व पी0 52 लगायत 56, 129ए 130 लगायत 133 (अ.सा.15)	विवेचना के समय प्राप्त दस्तावेज व उनकी कार्यवाही करना, आरोपी की गिरफ्तारी
12	प्र0पी057 एवं पी058 लगायत 126, 127, 128 (अ.सा.16)	पुलिस अधीक्षक का पत्र एवं जांच कार्यवाही के दस्तावेज तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट।
13	प्र0पी0129 से 133(अ.सा.17)	शाखा प्रबंधक को नोटिस एवं उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट।

B- बचाव पक्ष–

क्रमांक	प्रदर्श	दस्तावेज विवरण
1.	प्र0डी01(अ.सा.3)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।

C- न्यायालय द्वारा प्रदर्शित –

क्रमांक –	प्रदर्श क्रमांक –	दस्तावेज विवरण
1	निरंक	निरंक

D- महत्वपूर्ण सामग्री–

क्रमांक –	सामग्री क्रमांक–	विवरण –
1	क्यू–1 से क्यू 17	विवादित चेक में किये गये हस्ताक्षरों, नमूना हस्ताक्षरों की जांच।

1– आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 380, 420, 467, 472 एवं 471 का आरोप है कि उसने ग्राम कर्रावन में ग्राम पंचायत कार्यालय जो ग्राम पंचायत की संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में दिनांक 10.07.2011 के पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत

कर्रावन के आधिपत्य की मूल्यवान सम्पत्ति खाता क्रमांक 6550 की चेकबुक का चेक क्र0 37640 को सचिव की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक उसके आधिपत्य से स्वयं को सदोष लाभ अर्जित करने के लिये हटाकर चोरी का अपराध कारित किया, उक्त चेक में दिनांक 10.07.2011 के पूर्व सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर की कूटरचना कर फर्जी कूटरचित सील लगाकर उक्त कूटरचित चेक को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर को प्रवंचित कर उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर 10,000/– रूपये की राशि प्राप्त किया, उक्त मूल्यवान सम्पत्ति चेक की कूटरचना की **तथा** उक्त चेक में सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर कर व सील लगाकर कूटरचना इस प्रयोजन से किया कि उसका उपयोग मूल्यवान प्रतिभूति चेक क्र0 37640 खाता क्रमांक 6799 से छल कर राशि निकाली जा सके तथा यह जानते हुए कि उक्त चेक फर्जी कूटरचित हैं या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि कूटरचित है उक्त चेक को कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाया जाकर राशि निकासी की गई।

2– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को दिनांक 16.02.2012 को गिरफ्तार कर प्र0पी011 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया था।

3– अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सरपंच, ग्राम पंचायत नौगवॉ, ग्राम पंचायत बुढ़ार ने दिनांक 10.01.2012 को थाना प्रभारी, थाना जैतपुर, जिला शहडोल को एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत नौगवॉ, जनपद पंचायत बुढ़ार के मूलभूत खाता क्रमांक 06799 जो एस0बी0आई0 शाखा जैतपुर में संचालित है, दिनांक 06.01.2012 को पासबुक इन्ट्री कराने पर पासबुक देखने में पता चला कि दिनांक 13.07.2011 को चेक क्रमांक 37640 द्वारा राशि 10,000/– रूपये किसी के नाम से अंतरण किया गया है। उक्त राशि का चेक ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया और इन्ट्री किये गये चेक बैंक द्वारा ग्राम पंचायत को जारी नहीं किया गया है तथा न ही 10,000/– रूपये राशि का चेक उक्त अवधि तक ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। बैंक मैनेजर से जानकारी लेने पर पता चला कि राजेन्द्र बरगाही, निवासी ग्राम कोल्हुआ जो आंखे पत्रिका का पत्रकार है, उसने खाते में राशि अंतरित की गई है। इस प्रकार जालसाजीपूर्वक किये गये राशि अंतरण करने वाले राजेन्द्र बरगाही के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने तथा बैंक मैनेजर की संलिप्तता भी संदेहास्पद है, अतः उचित कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

4– इसी प्रकार सचिव ग्राम पंचायत कर्रावन, जनपद पंचायत बुढ़ार ने थाना प्रभारी, थाना जैतपुर, जिला शहडोल ने दिनांक 10.01.2012 को भी इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम पंचायत कर्रावन के बीआरजीएफ के खाता क्रमांक 6550 की चेक क्रमांक 0037637, 37639, 37640 एवं चेक क्रमांक 174888, 174889, 174890 चेक नहीं मिल रहे हैं। उक्त चेक ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी व्यक्ति को जारी नहीं किया गया है,

संभवतः किसी व्यक्ति द्वारा गलत नियत से उक्त चेक, चेकबुक से निकाल लिये हो सकते हैं, अतः उक्त चेकों से कोई दुरूपयोग न हो, की सूचना प्रेषित की गई है। उक्त चेकों के संबंध में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जैतपुर को भी अवगत करा दिया गया है। उक्त लिखित आवेदनों पर से थाना जैतपुर में दिनांक 16.02.2012 को थाना जैतपुर में आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही, निवासी ग्राम कोल्हुआ, थाना जैतपुर, जिला शहडोल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 35/12 अंतर्गत धारा 379, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी038 लेखबद्ध की गई।

5— विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी अपने आपको आंखे पत्रिका का पत्रकार बताकर विज्ञापन के नाम पर जैतपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से विज्ञापन के नाम पर रूपये ऐंठता रहा है, जिसमें सचिवों से उसकी जान पहचान हो गई। सचिव, ग्राम पंचायत कर्रावन से इसी परिचय का लाभ उठाकर उसके बैग से आरोपी ने चेक बुकों में से चेक निकाल कर चुरा लिया, जिसकी जानकारी सचिव को नहीं हो पाई। सचिव ग्राम पंचायत नौगवॉ ने जब अपनी पास बुक सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा जैतपुर से इन्ट्री कराई तो दिनांक 13.07.2011 को दस हजार रूपये निकासी चेक द्वारा पाया गया। बैंक से विस्तृत जानकारी लेने पर जिस चेक से रूपये निकाले वह चेक ग्राम पंचायत कर्रावन को बैंक द्वारा जारी करना पाया गया तब सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत नौगवां ने कर्रावन सचिव को जानकारी दिया तब उसे जानकारी होने पर दोनो ग्राम पंचायत के सचिवों ने लिखित शिकायत थाना पर किया, जिसकी जांच पर पाया गया कि आरोपी सदर ने चेक ग्राम पंचायत कर्रावन से चुराकर अन्य ग्राम पंचायत के खातों को कूटरचित जालसाजी कर दर्ज कर विज्ञापन के नाम पर फर्जी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कर अपने खाता 8842 सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर में जमाकर ट्रांसफर कराकर उपयोग किया है। दौरान विवेचना में पाया गया कि आरोपी ने ग्राम पंचायत कर्रावन से चुराए गए चेकों से उसे ग्राम पंचायत सेमरिहा, भसला, साखी, नौगवॉ के बैंक खातों के नाम फर्जी चेक भरकर तथा उक्त ग्राम पंचायतों में फर्जी प्रस्ताव विज्ञापन के नाम पर आंखे पत्रिका के तैयार कर सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर से राशि अपने स्वयं के खाता में ट्रांसफर कराकर निकाल कर उपभोग कर लिया।

6— विवेचना के दौरान शिकायत की जांच की जाने पर पाया गया कि आरोपी ने बैंक में दस हजार एवं बारह हजार रूपये जमा करा दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर मेमोरेण्डम पर चेकों एवं प्रस्तावों में उपयोग की गई सील जब्त कराया। आरोपी पर आरोप सिद्ध पाए जाने पर गिरफ्तार कर ज्यूडीसियल रिमाण्ड पर भेजा गया। जब्तसुदा दस्तावेज तथा हस्ताक्षर नमूना हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास भेजे गये व जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। अन्य औपचारिक विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त थाना प्रभारी, जैतपुर ने आरोपी के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 379, 420, 467, 468, 471 के तहत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल के न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल द्वारा मामला दिनांक 23.05.2012 को उपार्पित कर प्रकरण विचारण हेतु माननीय

सत्र न्यायालय शहडोल को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायालय से उक्त प्रकरण विचारण हेतु इस न्यायालय को दिनांक 12.09.2018 को अभियोजन साक्ष्य की स्टेज पर अंतरित किया गया।

7— मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 380, 420, 467, 472 एवं 471 का आरोप लगाया जाकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने जुर्म करने से इंकार किया तथा विचारण किये जाने की प्रार्थना की। आरोपी ने अपने कथन में अभियोजन पक्ष को गलत होना बताया है और झूंठा फंसाये जाने का बचाव लिया गया है तथा उसके द्वारा बचाव में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं।

8— निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :—

1— क्या आरोपी ने ग्राम कर्रावन में ग्राम पंचायत कार्यालय जो ग्राम पंचायत की संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, दिनांक 10.07.2011 के पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत कर्रावन के आधिपत्य की मूल्यवान सम्पत्ति खाता क्रमांक 6550 की चेकबुक का चेक क्र0 37640 को सचिव की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक उसके आधिपत्य से स्वयं को सदोष लाभ अर्जित करने के लिये हटाकर चोरी का अपराध कारित किया?

2— क्या आरोपी ने दिनांक 10.07.2011 के पूर्व चेक क्र0 37640 में सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर की कूटरचना कर उक्त कूटरचित चेक को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर को प्रवंचित कर उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर 10,000/— रूपये की राशि प्राप्त किया?

3— क्या आरोपी ने उक्त अवधि में ग्राम पंचायत से चुराई हुई चेक क्रमांक 37640 खाता क्रमांक 6799 में सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर की कूटरचना कारित किया और कूटरचित चेक जो कि मूल्यवान सम्पत्ति है, उसकी रचना की?

4— क्या आरोपी ने उक्त अवधि के मध्य सचिव, सरपंच ग्राम पंचायत की सील की कूटरचना इस प्रयोजन से किया कि उसका उपयोग मूल्यवान प्रतिभूति चेक क्र0 37640 खाता क्रमांक 6799 में सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर की कूटरचना की जावे और कूटरचित सील को कूटकृत जानते हुए अपने आधिपत्य में बनाए रखा?

5— क्या आरोपी ने उक्त अवधि के मध्य कूटरचित चेक क्रमांक 37640 एवं खाता क्रमांक 6799 जिसके बारे में आप जानते थे या विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह कूटकृत है, उक्त चेक को कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाया?

निराकरण एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 5

9— उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ साक्ष्य की समीक्षा की जा रही है।

10— इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें आपराधिक विधि के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **थावरिया विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम0पी0एल0जे0 पेंज 442** के मामले में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि —

क— अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपराध अपने संदेहातीत रूप से प्रमाणित करना चाहिए।

ख— अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

ग— यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो, जो विचार आरोपी के पक्ष में हो, उसे विचार में लेना चाहिए। **न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य वि0 इस्लाम एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट 2317** के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मद प्रतिपादित किया गया है जहां अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो जो विचार आरोपी के पक्ष का हो उसे विचार में लिया जाना चाहिये।

11— अभियोजन साक्षी बाबू सिंह सचिव, ग्राम पंचायत कर्रावन (अ0सा08) ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी को वह जानता है, वह अपने आपको पत्रकार बताता है। वह वर्ष 2003 से 2014 तक ग्राम पंचायत कर्रावन में सचिव के पद पर पदस्थ था, वह लोग पंचायत का खाता क0 6550 सेंट्रल बैंक, शाखा जैतपुर में खुलवाया था, जिसमें चेकबुक प्राप्त हुई थी। वह लोग पंचायत के खाते से कोई भी राशि निकालने के लिये सरपंच और उसके स्वयं के हस्ताक्षर से चेक बैंक में जमा करते थे। चेक क्रमांक 037631 से 0037640 का चेक प्राप्त हुआ था, उसके पास चेक क्रमांक 37637, 37639, 37640 शेष चेकबुक में थे, जिनके भुगतान के लिये उन्होने किसी को बैंक में पेश नहीं किया कि वे चेकबुक उसके बैग में थे, वह ग्राम पंचायत कार्यालय में बैग लेकर बैठता था, उसका बैग ग्राम

पंचायत से चोरी हो गया था, जिसमें उक्त चेक थे। आरोपी राजेन्द्र सिंह के द्वारा उक्त तीनो चेक उसके बैग से चोरी कर उसका प्रयोग अलग–अलग पंचायत के नाम से किया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि एक और चेकबुक उसके बैग में थी, जिसमें चेक नं0 174888, 174889 एवं 174890 तथा एक अन्य चेकबुक में चेक नं0 16200 थे, सभी चेकों का उपयोग आरोपी द्वारा अलग अलग पंचायत में किया गया था। आरोपी उनके कार्यालय में पत्रकार होने के कारण आता जाता था, उसी के द्वारा चेकों की चोरी की गई थी।

12– साक्षी बाबू सिंह सचिव (अ0सा08) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा चेक गुमने की सूचना प्र0पी02 थाने में किया था। प्र0पी07 का चेक जो कि चेक क्रमांक 0037640 का विवादित चेक ग्राम पंचायत कर्रावन को इशू होना बताया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जैतपुर के खाता क्रमांक 6550 में जारी हुआ था तथा चेक क्र0 174881 से लेकर 174887 के खाली चेक में से चेक क्र0 174888, 174889 एवं 174890 निकाले गये तथा दूसरा खाता 6773 का चेक नं0 16200 निकला हुआ था तथा शेष चेक पुलिस द्वारा प्र0पी018 के जब्ती पंचनामा अनुसार जब्त किया गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि प्र0पी019 का चेक क्र0 37639, प्र0पी020 का चेक क्र0 16200, प्र0पी021, 22 के चेक ग्राम पंचायत कर्रावन को जारी हुए थे। उक्त चेकों को उन लोगों द्वारा भुगतान हेतु जमा नहीं किये गये थे। साक्षी के कथन का समर्थन ग्राम पंचायत के सरपंच बसंत सिंह(अ.सा.3) के भी कथन से होता है, उसने बताया कि उसके सचिव द्वारा जानकारी दी गई थी कि 06 चेक गायब हो गये हैं, जिनके गुमने की सूचना लिखित में बाबू सिंह द्वारा थाना जैतपुर में की गई थी।

13– साक्षी बाबू सिंह (अ0सा08), बसंत सिंह (अ0सा03) के प्रति परीक्षण में ऐसा नहीं आया है कि उनके पंचायत का चेक क्र0 0037640 चोरी नहीं हुआ था और उनके द्वारा पुलिस थाना जैतपुर में प्र0पी02 चेक चोरी होने की सूचना नहीं दी गई थी। यद्यपि बाबू सिंह (अ0सा08) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि चेक रखने की जिम्मेदारी उसकी थी और जो भी चेक गुमे थे, उसके पास से गुमे थे। चेक गुमने के एक महीने बाद उसे पता चला था कि चेक गुम गया है, किन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि उनकी पंचायत के 06 चेक चोरी नहीं हुए थे।

14– अभियोजन साक्षी महिपाल सिंह (अ0सा01) ग्राम पंचायत सचिव, नौगॉव ने अपने कथन में बताया कि ग्राम पंचायत नौगॉव का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जैतपुर में खाता क्रमांक 6799 खुला था। साक्षी ने यह भी बताया है कि बैंक से पैसा निकालने के लिये पंचायत की बैठक कर प्रस्ताव पारित कर पैसा निकालते थे, जिसमें सरपंच और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दिनांक 13.07.2011 को उनके पंचायत के खाते से 10,000/– रूपये का आहरण आरोपी राजेन्द्र बरगाही के द्वारा कियाग या था किन्तु उनकी पंचायत से 10,000/– रूपये का चेक आरोपी को नहीं दिया गया था। राशि निकलने के पश्चात् यह जानकारी हुई थी

कि चेक नं0 37640 से आरोपी ने राशि निकाला है। यह जानकारी पंचायत के खाते का स्टेटमेंट निकालने पर हुई थी कि 37640 का चेक ग्राम पंचायत कर्रावन का था, जिसमें 10,000/– रूपये भरकर आरोपी ने उनके खाते से निकाला था, जब कि 10,000/– रूपये का कोई चेक आरोपी को नहीं दिया गया था। साक्षी ने बताया है कि उनकी पंचायत द्वारा 2500/– रूपये का चेक विज्ञापन हेतु दिया गया था। बैंक से जानकारी प्राप्त होने पर लिखित शिकायत प्र0पी01 दी गई थी। दिनांक 01.01.2012 को प्र0पी02 की भी शिकायत थाना जैतपुर में की गई थी।

15– साक्षी महिपाल सिंह (अ0सा01) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि पुलिस ने गॉव में उपस्थित होकर नक्शा मौका प्र0पी03 तैयार किया था और उनके कार्यालय से कार्यवाही रजिस्टर तथा सेंट्रल बैंक के खाता क्रमांक 6799 की पासबुक व चेकबुक प्र0पी04 के जब्ती पंचनामा अनुसार जब्त की गई थी। साक्षी ने यह बताया है कि पव्र0पी011 का प्रस्ताव उनके पंचायत से पारित नहीं हुआ था। साक्षी के कथन का समर्थन प्र0पी05 के कार्यवाही रजिस्टर, पासबुक प्र0पी06 से भी होता है। दिनांक 25.06.2011 को कोई भी प्रस्ताव, 10,000/– रूपये की राशि विज्ञापन पेटे आरोपी को भुगतान हेतु पारित नहीं किये गये थे, जिसका समर्थन सरपंच शोभेलाल (अ0सा06)/(अ0सा010) द्वारा भी अपने कथन में किया गया है कि 10,000/– रूपये आहरित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्र0पी08 अनुसार उनके द्वारा पारित नहीं किया गया था। महिपाल सिंह (अ0सा01) ने प्र0पी07 का चेक क0 37640 ग्राम पंचायत नौगॉव से जारी नहीं किया जाना बताया है, जब कि दिनांक 13.07.2011 को 10,000/– रूपये की राशि प्र0पी07 के चेक 37640 के माध्यम से दिनांक 13.07.2011 को बैंक से आहरित किया गया है, जब कि उक्त चेक ग्राम पंचायत नौगॉव का न होकर ग्राम पंचायत कर्रावन के खाता का है। प्र0पी08 का प्रस्ताव जो बैंक में पेश किया गया है, वह दिनांक 25.06.2011 का ग्राम पंचायत कर्रावन का बताया गया है, जब कि ग्राम पंचायत कर्रावन से प्र0पी07 का चेक एवं प्र0पी08 का प्रस्ताव दिनांक 25.06.2011, 10,000/– रूपये आरोपी को विज्ञापन पेटे जारी किये जाने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

16– साक्षी महिपाल सिंह (अ0सा01) सचिव, ग्राम पंचायत नौगॉव एवं सरपंच शोभेलाल (अ0सा06)/(अ0सा010) के प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि प्र0पी07 का चेक क0 37640 राशि 10,000/– के आरोपी के भुगतान के संबंध में दिनांक 10.07.2011 को जारी किया गया है। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं आया है कि उक्त भुगतान के संबंध में प्र0पी08 का प्रस्ताव दिनांक 25.06.2011 को ग्राम पंचायत नौगॉव के प्रस्ताव रजिस्टर प्र0पी05 में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्र0पी05 के रजिस्टर में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त चेक प्र0पी07, चेक क0 37640 ग्राम पंचायत कर्रावन के खाता क0 6550 के लिये जारी हुआ था, जो ग्राम पंचायत कर्रावन के सरपंच का बैग गुमने से बैग में रखा होने से गुमा था। जैसा कि बाबू सिंह (अ0सा08) सचिव ग्राम पंचायत कर्रावन एवं सचिव बसंत सिंह (अ0सा03) के कथन से प्रमाणित है।

17— अभियोजन साक्षी एस0एन0पी0 वर्मा (अ0सा014) सहायक उपनिरीक्षक, थाना जैतपुर ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 07.02.2012 को वह उक्त थाना में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना जैतपुर से शिकायती आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ था, जांच के दौरान सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा जैतपुर के शाखा प्रबंधक द्वारा साक्षियों के समक्ष सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर का एक नग चेक क0 037640 कूट संख्या 028, जिसमें सरपंच, सचिव नौगॉव की सील लगी थी व हस्ताक्षर सील में सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के बाद नौगॉव हाथ से लिखा था। खाता संख्या 9067 में ओव्हर रायटिंग की गई थी, चेक राजेन्द्र सिंह के नाम जारी किया था, जिसमें दस हजार अंकों व शब्दों में लेख था, की मूल प्रति एवं एक पेंज कार्यालय ग्राम पंचायत नौगॉव, जनपद पंचायत बुढ़ार का विज्ञापन प्रस्ताव, जिसमें प्रस्ताव संख्या 10 लेख है, सात सदस्यों का नाम लेख था, गवाहों के समक्ष जब्त कर प्र0पी037 का जब्ती पत्रक तैयार किया था तथा शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जैतपुर की सील लगवाकर हस्ताक्षर कराया था तथा तारकेश्वर प्रसाद व रामधन लोधन के हस्ताक्षर कराया था, जिसका समर्थन एस0एन0पी0वर्मा (अ0सा014), जी0के0 शांडिल्य (अ0सा015) द्वारा भी किया गया है। जब्तसुदा चेक व प्रस्ताव पूर्व से प्र0पी07, 8 अंकित है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि प्र0पी07, 8 का चेक व प्रस्ताव बैंक से जब्त नहीं किया। इस साक्षी के कथन का समर्थन मानसिंह माझी (अ0सा012) बैंक मैनेजर द्वारा भी किया गया है।

18— साक्षी बैंक मैनेजर मान सिंह माझी (अ0सा012) ने अपने कथन में यह बताया है कि पुलिस थाना जैतपुर द्वारा उससे जमा पर्ची दिनांक 13.07.2011 प्र0पी058 एवं 10,000/— रूपये निकासी पर्ची दिनांक 14.07.2011 खाता क्रमांक 8842 से निकाले जाने के संबंध में जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी039 तैयार किया गया था, जिसका समर्थन जी0के0शांडिल्य विवेचक (अ0सा015) ने भी अपने कथन में किया है। आरोपी के बैंक खाता क0 8842 सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर का स्टेटमेंट प्र0पी0133 पुलिस को दिया जाना इस साक्षी द्वारा बताया गया है। स्टेटमेंट प्र0पी0133 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा चेक क0 0037640 जो कि ग्राम पंचायत कर्रावन के लिये जारी था, उसमें ग्राम पंचायत नौगॉव का खाता क0 6799 लेखकर जमा पर्ची दिनांक 13.07.2011 प्र0पी058 से 10,000/— रूपये जमा किया गया था और निकासी पर्ची दिनांक 14.07.2011 से अपने खाता से 10,000/— रूपये निकाला गया है। साक्षी मानसिंह माझी के प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि आरोपी के खाता क्रमांक 8842 में उक्त चेक 0037640 आरोपी द्वारा जमा पर्ची के माध्यम से दिनांक 13.07.2011 को जमा नहीं किया गया और न ही दिनांक 14.07.2011 को निकाला गया।

19— साक्षी मान सिंह माझी (अ0सा017) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 02.04.2012 को विवेचना के दौरान पुलिस थाना जैतपुर द्वारा पुनः दस्तावेजों की मांग हेतु सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर आई थी

और एक चेक सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर का दिनांक 28.04.2011 जो कि राजेन्द्र सिंह के नाम से 15,000/– रूपये का खाता नं0 6817 का चेक नं0 37637, जिसपर सेमरिहा पंचायत की सील व हस्ताक्षर बने थे, प्र0पी023 व बैंक की जमा पर्ची दिनांक 02.05.2011 प्र0पी04 जो हाथ से लिखी गई थी, ग्राम पंचायत सेमरिहा का दिनांक 25.04.2011 का प्रस्ताव प्र0पी08, एक चेक क0 37639 सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर दिनांक 26.06.2011 राजेन्द्र सिंह के नाम से, एक जमा पर्ची सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर दिनांक 24.06.2011, एक हस्तलिखित कार्यवाही ग्राम पंचायत भमला, एक चेक सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर का कमांक 174889 दिनांक 15.11.2011 राशि 10,000/– रूपये प्र0पी019, जमा पर्ची दिनांक 09.11.2012 प्र0पी061, कार्यालय ग्राम पंचायत साखी द्वारा पारित प्रस्ताव की नकल, चेक सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर क0 16200 दिनांक 03.09.2011 राजेन्द्र सिंह के नाम का राशि 12,000/– रूपये प्र0पी020, एक जमा पर्ची दिनांक 06.09.2011 राशि 12,000/– प्र0पी064, कार्यालय ग्राम पंचायत नवगवॉ का नकल प्रस्ताव क0 16 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी040 तैयार किया गया था, जिसका समर्थन जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) द्वारा भी अपने कथन में किया गया है।

20– साक्षी मान सिंह माझी (अ0सा017) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 14.01.2012 को आरोपी राजेन्द्र सिंह को उसके द्वारा इस बात की नोटिस प्र0पी0139 दी गई थी कि आपके द्वारा दिनांक 13.07.2011 को चेक क0 37640 से 10,000/– रूपये आहरित किया गया है, उसे जमा करें। थाना प्रभारी जैतपुर को दिनांक 24.02.2012 एवं 05.04.2012 को प्र0पी0130, 131 के पत्र भेजा था। थाना जैतपुर द्वारा पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत नौगॉव के खाते से निकाली गई राशि की जानकारी चाही गई थी, जिसके द्वारा प्र0पी0132 का पत्र थाना प्रभारी, जैतपुर को दिनांक 14.01.2012 को भेजा था। आरोपी राजेन्द्र सिंह के खाता की जमा निकासी की जानकारी थाना प्रभारी जैतपुर द्वारा दिनांक 25.01.2012 के पत्र से चाही गई थी, जिससे उसने 25.01.2012 को पत्र के माध्यम से राजेन्द्र प्रसाद (आंखे पत्रिका) के खाते की जानकारी दो पृष्ठों में प्र0पी0133 के अनुसार थाना प्रभारी जैतपुर को भेजा था।

21– अभियोजन साक्षी जगदीश प्रधान (अ0सा05) जो कि ग्राम पंचायत भमला का सचिव, वर्ष 1995 से 2014 तक था, ने अपने कथन में बताया कि वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत भमला की सरपंच मुन्नी बाई थी। ग्राम पंचायत भमला के दो खाते सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में खुले थे, जो बी0आर0जी0एफ0 एवं मूलभूत के खाते थे, मूलभूत का खाता क0 6734 था। साक्षी ने बताया कि बैंक से जब भी पैसा निकाला जाता था, तब पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाता था, जिसमें सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर होते थे तथा सरपंच सचिव के हस्ताक्षर से चेक से पैसे निकलते थे, जिसका समर्थन मुन्नी बाई (अ0सा04) ने भी किया है। साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया है कि पैसे निकालने का विवरण कार्यवाही रजिस्टर

में दर्ज किया जाता था। जब सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर गया था तब पता चला था कि ग्राम पंचायत के मूलभूत खाता क0 6734 से दिनांक 24.06.2011 को 5,000/– रूपये निकाले गये थे, तब उसने पासबुक में इंट्री देखकर बैंक द्वारा घटाया गया समझ कर कैशबुक में दर्ज कर दिया था, बाद में उसे पता चला कि बैंक से जो 5,000/– उसके ग्राम पंचायत के खाते से निकाले गये थे, वह ग्राम पंचायत कर्रावन के लिये जारी गये चेक से राजेन्द्र सिंह बरगाही पत्रकार द्वारा उसके एवं सरपंच के जाली हस्ताक्षर कर निकाले गये थे। उनके ग्राम पंचायत में विज्ञापन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा कोई हस्ताक्षरित चेक आरोपी को 5,000/– रूपये का दिया गया था, जिसका समर्थन सरपंच मुन्नी बाई (अ0सा04) ने भी अपने कथन में किया है।

22– साक्षी जगदीश प्रधान (अ0सा05) ने अपने कथन में यह भी बताया कि आरोपी कभी कभार उनके ग्राम पंचायत से विज्ञापन के लिये आता था, उसे वर्ष 2010 में उनके पंचायत द्वारा 2500/– रूपये का चेक दिया गया था। मूलभूत खाता क्रमांक 6734 का 5,000/– रूपये भुगतान का फर्जी प्रस्ताव उसके एवं सरपंच के हस्ताक्षर से बना था, 5,000/– रूपये निकाले गये थे, जिसके संबंध में थाना जैतपुर की पुलिस दिनांक 02.04.2012 को ग्राम पंचायत भमला आई थी और पुलिस वाले उनके कार्यालय ग्राम पंचायत भमला से कार्यवाही रजिस्टर 2011–12 जिसमें कुल 1 से 84 पृष्ठ थे, कैशबुक जिसमें पृष्ठ क्र07 पर दिनांक 24.06.2011 में सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर द्वारा मूलभूत खाता क0 6734 में 5,000/– रूपये घटाया जाना लेख था। कैशबुक के कुल 1 से 52 पृष्ठ की, सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर के खाता क्रमांक 6734 की पासबुक जिसमें दिनांक 24.06.2011 को 5,000/– रूपये आहरण का दर्ज था, जब्ती पत्रक प्र0पी012 के अनुसार जब्त किया गया था। तत्पश्चात् मूल दस्तावेज उसे सुपुर्दगी में दिये गये थे। साक्षी द्वारा पासबुक प्र0पी014, जिसकी सत्यापित प्रति प्र0पी014सी, कार्यवाही रजिस्टर प्र0पी013, जिसकी प्रति प्र0पी013सी, कैशबुक प्र0पी015, जिसकी प्रति प्र0पी015सी न्यायालय में पेश कर प्रमाणित किया है।

23– साक्षी जी0के0शाडिल्य (अ0सा015) द्वारा भी अपने कथन के पैरा 12 में जब्ती पत्रक प्र0पी012 अनुसार ग्राम पंचायत भमला का प्रस्ताव रजिस्टर पृष्ठ क्र01 लगायत 84, कैशबुक पृष्ठ क0 1 लगायत 52, पासबुक खाता क0 6734 प्र0पी012 अनुसार सचिव ग्राम पंचायत भमला, जगदीश प्रधान के पेश करने पर जब्त किये जाने का समर्थन किया है। प्रस्ताव रजिस्टर के अवलोकन से दिनांक 10.06.2016 को पारित किये गये प्रस्ताव

क0६, जिसमें विज्ञापन राशि 5,000/– रूपये, राजेन्द्र बरगाही को भुगतान किये जाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। जब कि बैंक खाता से राजेन्द्र बरगाही द्वारा 24.06.2011 को पंचायत के खाता क0६734 से 5,000/– रूपये आहरित किये जाने पर, खाते में उल्लेख होने से कैशबुक में लेख किया गया है।

24– अभियोजन साक्षी जयप्रकाश नापित (अ0सा012) सचिव, ग्राम पंचायत साखी ने अपने कथन में आरोपी का जानना बताते हुए कथन किया है कि दिनांक 08.04.2012 को वह ग्राम पंचायत साखी में पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना जैतपुर द्वारा उससे ग्राम पंचायत साखी की कार्यवाही का रजिस्टर, जिसमें पेंज क0 183 थे, जिसके पृष्ठ क0 61 पर दिनांक 04.04.2011 को दो प्रस्ताव लेख किये गये थे तथा पृष्ठ क0 62 पर दिनांक 10.11.2011 को दो प्रस्ताव पारित हुए थे। दिनांक 08.11.2011 को उनके पंचायत में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तथा ग्राम पंचायत साखी का कैशबुक रजिस्टर, जिसमे पृष्ठ क0 1 से 142 थे, जिसके पृष्ठ क0 79 पर 10,000/– रूपये घटाना लेख था व सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर की ग्राम पंचायत साखी के बचत खाता क0 8250 की पासबुक, जिसमें दिनांक 10.12.2011 को 10,000/– रूपये आहरित किया जाना इन्द्राज था। तीनो मूल दस्तावेज पुलिस द्वारा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी027 तैयार किया गया था और तीनो मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश किये जाने के निर्देश के साथ उसे सुपुर्दगी में दिया गया था, जिसका समर्थन साक्षी जी0के0 शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन के पैरा–6 में किया है।

25– साक्षी जय प्रकाश नापित (अ0सा012) ने अपने कथन के समय ग्राम पंचायत साखी की कैशबुक के पृष्ठ क0 79, जिसे प्र0पी028 से चिन्हिंत किया गया है, जिसकी प्रति प्र0पी028सी है, में 10,000/– रूपया घटाया जाना अपनी हस्तलिपि में इन्द्राज किया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि बैंक से पैसा निकालने के लिये पंचायत में प्रस्ताव पारित होता था, फिर चेक से पैसा निकाला जाता था, जिसपर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर होते थे। ग्राम पंचायत साखी के चार खाते सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में थे, जिसमें खाता क्रमांक 8250, रोजगार गारण्टी, राज्य वित्त आयोग का था, उसके व सरपंच द्वारा 10,000/– रूपये नहीं निकाले गये थे। जिस चेक से 10,000/– रूपये निकाले गये थे, वह चेक ग्राम पंचायत साखी द्वारा जारी नहीं किया गया। पुलिस वालों ने बताया था कि 10,000/– रूपये राजेन्द्र बरगाही द्वारा निकाले गये हैं। उक्त साक्षी द्वारा खाता क0 8250 नया खाता क0 2373783388 की डुप्लीकेट पासबुक

प्र0पी029 पेश किया है, जिसके अनुसार दिनांक 10.12.2011 को 10,000/– रूपये खाता क0 2373792417 जो कि राजेन्द्र सिंह बरगाही का है, में ट्रांसफर किया गया है। ग्राम पंचायत साखी के खाते का विवरण प्र0पी030 पेश किया गया है, जिसमें भी दिनांक 10.12.2011 को आरोपी के उक्त खाते में ट्रांसफर होना दर्शित है। प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि दिनांक 10.12.2011 को 10,000/– रूपये आरोपी के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं आया है कि आरोपी को दस हजार रूपये भुगतान करने के लिये पंचायत का कोई प्रस्ताव दिनांक 08.11.2011 को पारित हुआ है और उनकी पंचायत से कोई चेक दस हजार रूपये का आरोपी को जारी किया गया है।

26– अभियोजन साक्षी मुन्नी बाई (अ0सा013) जो ग्राम पंचायत साखी की सरपंच थी। साक्षी ने बताया है कि ग्राम पंचायत से चेक से पैसा निकालने के लिये प्रस्ताव पारित किया जाता था। प्र0पी019 के चेक में जिसका क0 174889 है, पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने भी अपने कथन में खाता क0 8250 ग्राम पंचायत साखी का सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में होना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि चेक से पैसा निकालने के लिये पंचायत का प्रस्ताव होता था और चेक में उसके एवं सचिव के हस्ताक्षर के बाद आहरण होता था, उसे उसके सचिव ने ग्राम कोल्हुआ के किसी बरगाही द्वारा फर्जी चेक में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दस हजार रूपये निकालने की बात बताई है। आरोपी राजेन्द्र बरगाही को रोजगार गारंटी के खाते से भुगतान हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और न ही चेक जारी किया गया। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त तथ्य बताई है, जिससे जयप्रकाश नापित (अ0सा012) के कथन का समर्थन होता है कि ग्राम पंचायत साखी से आरोपी को दस हजार रूपये भुगतान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और न ही उनकी पंचायत से कोई चेक जारी किया गया, जब कि उनके पंचायत के खाता क्रमांक 8250 से आरोपी द्वारा चेक के माध्यम से अपने खाते में आहरित किया गया है।

27– अभियोजन साक्षी मान सिंह पाव (अ0सा09) जो कि ग्राम पंचायत सेमरिहा का सचिव है, ने अपने कथन में आरोपी को पहचानते हुए बताया है कि वह ग्राम पंचायत सेमरिहा का सचिव था, सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में ग्राम पंचायत सेमरिहा का खाता क0 6817 है, जिससे राजेन्द्र बरगाही पत्रकार द्वारा 15,000/– रूपये निकाल लिये गये थे, जब कि उनके पंचायत में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया गया और न ही पन्द्रह हजार रूपये का चेक आरोपी को जारी किया गया, जिस चेक से रूपये

निकाले गये थे, वह चेक ग्राम पंचायत सेमरिहा का नहीं था और न ही जारी किया गया था। साक्षी ने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी प्रस्ताव तैयार कर प्र0पी023 का चेक जो कि चेक क0 37637 है, उनके पंचायत से जारी नहीं हुआ था और न ही उसके व उसकी सरपंच रूखमन के हस्ताक्षर होना बताया है। प्र0पी024 के प्रस्ताव दिनांक 25.04.2011 में ए से ए भाग पर अपने व बी से बी भाग पर सरपंच रूखमन के हस्ताक्षर होना बताया है। कार्यवाही रजिस्टर प्र0पी026 में पन्द्रह हजार रूपये निकालने का कोई प्रस्ताव पारित होने से इंकार किया है।

28— साक्षी रूखमन बाई (अ0सा07) सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिहा ने भी अपने कथन में बताया कि उसके समय सचिव मानसिंह पदस्थ था, उनके पंचायत का खाता जैतपुर में था। उनके ग्राम पंचायत के खाते से पन्द्रह हजार रूपये आरोपी ने फर्जी रूप से निकाला था, उसने आरोपी को किसी तरह की राशि निकालने का चेक पंचायत से नहीं दिया था। साक्षी ने प्र0पी023 के चेक व प्र0पी024 के प्रस्ताव में अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है, जिससे इस साक्षी के कथन से भी सचिव, मानसिंह पाव (अ0सा09) के कथन का समर्थन होता है कि प्र0पी023 का चेक पन्द्रह हजार रूपये का आरोपी को नहीं जारी किया गया और न ही प्र0पी024 का कोई प्रस्ताव पंचायत में इस संबंध में पारित किया गया। चेक व प्रस्ताव में सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित किये गये हैं।

29— अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत कर्रावन सरपंच एवं नौगवां सरपंच के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.01.12 की जांच ए0एस0आई0 एस0एन0पी0 वर्मा के द्वारा की गई थी जिनके जांच के प्रतिवेदन के आधार पर अपराध घटित होना पाये जाने पर प्रतिवेदन एवं आवेदन के आधार पर उसके द्वारा दिनांक 16.12.2012 को आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही के विरूद्ध अपराध क0 35/12, धारा 379, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी038 लेखबद्ध की गई थी। प्रकरण में जांच के दौरान संलग्न किये गये दस्तावेजों को उसके द्वारा विवेचना के दौरान केस डायरी में संलग्न किया था। दिनांक 23.02.2012 को उसके द्वारा थाना जैतपुर में मानसिंह मांझी ब्रांच मैनेजर सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर के द्वारा लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक जमा पर्ची दिनांक 13.07.11 खाता क0 8842 सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर एवं निकासी पर्ची दिनांक 14.07.11 राशि रू0 10,000/— खाता क0 8842 से, को जब्त कर जब्ती पत्रक **प्र0पी0—39** तैयार किया था जिसका समर्थन मानसिंह माझी (अ0सा017) द्वारा भी अपने कथन

में किया गया है।

30— अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि दिनांक 02.04.12 को मानसिंह मांझी ब्रांच मैनेजर सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर द्वारा पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक चेक क0 0037637 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर खाता क. 6817 का जो राजेन्द्र सिंह के नाम से राशि रू0 15000/— का था, जिसमें सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिहा की सील तथा हस्ताक्षर बने थे, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर की एक जमा पर्ची दिनांक 02.05.11 खाता क0 8842 जिसमें अंग्रेजी में राजेन्द्र सिंह लेख था राशि रू0 15000/— का था एवं जमा पर्ची में चेक क0 37637 लेख था, हाथ से लिखी नकल कार्यवाही ग्राम पंचायत सेमरिहा प्रस्ताव क0 08 दिनांक 25.04.11 जिसमें कुल 13 पंच, उपसरपंच एवं पंचों के नाम लेख थे राशि 15000/— रूपये खाता क0 6817 से भुगतान प्रस्ताव सचिव एवं सरपंच की सील लगी एवं हस्ताक्षर थे, चेक क0 0037639 सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर दिनांक 20.06.11 राशि 5000/— रूपये खाता क0 6734, एक सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर की जमा पर्ची दिनांक 24.06.11 खाता क0 8842 चेक क0 37639 राशि 5000/— रूपये, एक हस्तलिखित नकल कार्यवाही ग्राम पंचायत भमला प्रस्ताव क0 06 जिसमें विज्ञापन बिल भुगतान 5000/— चेक क0 37639 का पास किया गया था जिसमें सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत भमला के सील लगी हुई एवं हस्ताक्षर थे। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर का एक चेक क0 174889 दिनांक 15.11.11 जो राजेन्द्र सिंह के नाम खाता क0 8250 राशि 10000/— रूपये एक जमा पर्ची दिनांक 09.12.11 राशि 10000/— रूपये चेक क0 174889, कार्यालय ग्राम पंचायत साखी का कार्यवाही प्रस्ताव क0 08 राशि रू0 10000/— रूपये भुगतान का प्रस्ताव विज्ञापन व्यय बावत् जिसमें सरपंच सचिव की सील लगी हस्ताक्षर शुदा, एक चेक क0 016200 दिनांक 03.09.20 राजेन्द्र सिंह के नाम राशि रू0 12000/— रूपये खाता क0 6799 जिसमें नौगवा सरपंच, सचिव की सील लगी, एक जमा पर्ची दिनांक 06.09.11 खाता क0 8842 राशि रू0 12000/— चेक क0 016200 लिखा हुआ कार्यालय ग्राम पंचायत नौगवां का प्रस्ताव क0 16 जिसमें विज्ञापन भुगतान हेतु आहरण करने हेतु खाता क0 6799 का प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सरपंच एवं सचिव की सील लगी थी एवं हस्ताक्षर थे को मान सिंह माझी से गवाहों के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक दो पृष्ठों **प्र0पी0—40** तैयार किया था, जिसका समर्थन साक्षी मानसिंह माझी (अ0सा017) ने भी अपने कथन में किया है।

31— अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) द्वारा अपने कथन

में यह भी बताया गया है कि दिनांक 06.04.12 को थाना जैतपुर में मानसिंह सचिव ग्राम पंचायत सेमरिहा द्वारा लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष ग्राम पंचायत सेमरिहा की मूल कैशबुक रजिस्टर वर्ष 2011 का जिसमें कुल 177 पृष्ठ प्रस्ताव क0 06 पर दिनांक 02.05.11 में 15000/– रूपये सेन्ट्रल बैंक जैतपुर खाता क0 6817 से पासबुक मुताबिक लेख है, सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर की पासबुक खाता क0 6817 जो ग्राम पंचायत सेमरिहा के नाम है जिसमें दिनांक 02.05.11 में 15000/– रूपये आहरित किया जाना इन्द्राज है, एक ग्राम पंचायत सेमरिहा की कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 2011 का जिसमें 01 से 103 तक पृष्ठ हैं दिनांक 06.04.11 से 24.04.11 में प्रस्ताव अंकित है, दिनांक 25.04.11 को कोई प्रस्ताव दर्ज नहीं है, विज्ञापन राशि 15000/– रूपये का उल्लेख है को सचिव, मान सिंह से गवाहों के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक **प्र0पी0–41** तैयार किया था।

32. अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 08.04.12 को जयप्रकाश नापित सचिव ग्राम पंचायत साखी द्वारा लाकर पेश करने पर ग्राम पंचायत साखी की मूल कार्यवाही रजिस्टर जिसमें 01 से 83 तक पृष्ठ जिसके पृष्ठ क0 61 पर दिनांक 04.04.11 को दो प्रस्ताव लेख है, पृष्ठ क0 62 पर दिनांक 10.11.11 कुल दो प्रस्ताव पारित है दिनांक 08.11.11 में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, ग्राम पंचायत साखी का कैशबुक रजिस्टर क0 01 से 142 तक पृष्ठ हैं पृष्ठ क0 79 का बैंक द्वारा 10000/– रूपये घटाना लेख है, एक पासबुक सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर की ग्राम पंचायत साखी के नाम खाता क0 8250 जिसमें दिनांक 10.12.11 को 1000/– रूपये आहरित करना दर्ज है को जयप्रकाश नापित से गवाहों के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0–27 तैयार किया था, जिसका समर्थन जय प्रकाश नापित (अ0सा012) ने भी अपने कथनों में किया है।

33. अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 17.02.12 को महिपाल सिंह, सचिव ग्राम पंचायत नौगवॉ द्वारा लाकर पेश करने पर कार्यालय ग्राम पंचायत नौगवां का वर्ष 2011–12 का कार्यवाही रजिस्टर जिसमें 01 से 78 पेज अंकित थे जिसमें कुल 03 प्रस्ताव पारित किया गया था एक सेन्ट्रल बैंक जैतपुर की खाता क0 6799 पासबुक जिसमें दिनांक 13.07.11 को चेक नं0 37640 से 10000/– रूपये ट्रांसफर किया जाना दर्ज था को साक्षी महिपाल सिंह से गवाहों के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0–04 तैयार किया था, जिसका समर्थन महिपाल सिंह, सचिव (अ0सा01) एवं शोभेलाल सिंह, सरपंच (अ0सा06) ने भी अपने कथनों में किया है।

34– अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 06.04.12 को जगदीश प्रधान सचिव ग्राम पंचायत भमला द्वारा लाकर पेश करने पर वर्ष 2011 की कार्यवाही रजिस्टर जिसमें 1 से 84 तक, पृष्ठ क0 06 पर कुल 03 प्रस्ताव दिनांक 10.06.11 को पारित किये गये प्रस्ताव क0 06 विज्ञापन राशि 5000/– रूपये राजेन्द्र बरगाही को भुगतान किये जाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, एक कैशबुक सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर का ग्राम पंचायत भमला का पृष्ठ क0 7 पर दिनांक 24.06.11 में खाता क0 6734 से 5000/– रूपये मूलभूत की राशि से 5000/– रूपये बढ़ाया गया लेख है कैशबुक में कुल 01 से 52 पृष्ठ थे, एक सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर का पासबुक खाता क0 6734 जिसमें दिनांक 24.06.11 को आहरण किया गया इन्द्राज था, सचिव जगदीश प्रधान से जब्ती पंचनामा प्र0पी012 अनुसार गवाहों के समक्ष जब्त किया था और मूल दस्तावेज उसे इस निर्देश के साथ सुपुर्दगी में दिये गये थे कि न्यायालय में साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत करेगा, जिसका समर्थन साक्षी जगदीश प्रधान (अ0सा05) सचिव, ग्राम पंचायत भमला ने भी अपने कथन में किया है।

35. अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 18.02.12 को बाबू सिंह सचिव ग्राम पंचायत कर्रावन द्वारा पेश करने पर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर के खाता क0 6550 की जारी की गई चेक बुक 174881 से 174890 जिसमें चेक क0 174881 से 174887 तक खाली चेक संलग्न थे, चेक क0 174888, 174889, 174890 निकले हुये थे चेकबुक में संलग्न नहीं थे, खाता क0 6550 लिखा एवं दिनांक 09.08.11 लेख था एक चेकबुक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर खाता क0 6773 जो 16181 से 16200 तक के चेक 16194 भरा हुआ निरस्त लगा था को बाबू सिंह, सचिव से गवाहों के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0–18 तैयार किया था, जिसका समर्थन बाबू सिंह, सचिव (अ0सा08) ने भी अपने कथन में किया है।

36– अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 27.03.12 को शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर को एक पत्र प्रकरण से संबंधित राजेन्द्र सिंह बरगाही द्वारा प्रस्तुत किये गये चेक एवं प्रस्ताव को प्राप्त करने हेतु प्र0पी042 का पत्र भेजा था। दिनांक 02.04.12 को शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर को एक पत्र प्रकरण से संबंधित विवादित चेक किस –किस ग्राम पंचायत को जारी किया गया था, उसकी सूची प्राप्त करने हेतु पत्र प्र0पी043 जारी किया गया था। उसके द्वारा आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही के पत्रकार होने के संबंध में जिला जन–सम्पर्क अधिकारी शहडोल से पत्र प्र0पी044 के माध्यम से जानकारी चाही गई थी। उक्त पत्र के पालन में जिला जन सम्पर्क कार्यालय शहडोल द्वारा एक पत्र प्र0पी045 थाना जैतपुर भेजा

गया था जिसमें आरोपी के पत्रकार नहीं होने के संबंध में जानकारी दी गई थी।

37— अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 16.02.2012 को आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही को अभिरक्षा में लेकर आरोपी से ग्राम पंचायत भठिया के बरामदा में गवाहों के समक्ष पूँछताँछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी09 लेख किया था जिस पर उसने बताया था कि सचिव एवं सरपंच नौगवां के प्रस्ताव पर जो सील उसके द्वारा लगाया गया था उसे वह अपने घर के सोने वाले कमरे में बने रैक में पन्नी में छिपाकर रखा है, चलो चलकर कर बरामद करा देता है। आरोपी के मेमोरेण्डम सूचना के आधार पर उसे लेकर उसके ग्राम कोल्हुवा गया था, जहां पर आरोपी ने अपने घर के कमरे के अंदर से निकालकर दो इस्तेमाली सील जिसमें ग्राम पंचायत नौगवॉ, जनपद पंचायत बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0 लिखा हुआ तथा सरपंच सचिव लिखे हुये दो छोटे रबड़ के टुकड़े लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जब्त कर, जब्ती पत्रक प्र0पी0—10 तैयार किया था और आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—11 तैयार किया था तथा आरोपी के गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्र0पी0139 की कार्बन प्रति की पावती अनुसार उसके परिजन विजय सिंह को दी थी।

38. अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान साक्षी शोभेलाल, बाबू सिंह कंवर, मान सिंह मांझी, जगदीश प्रधान, श्रीमती मुन्नी गोड़, मानसिंह पाव, श्रीमती रूकमुन पाव, जयप्रकाश नापित, श्रीमती मुन्नी सिंह, महिपाल सिंह एवं बसंत कुमार पाव के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक 17.02.12 को घटना स्थल सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर का नक्शा मौका प्र0पी03 तैयार किया गया था, जिसका समर्थन महिपाल सिंह (अ0सा01) ने भी अपने कथन में किया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रकरण की जांच के दौरान दस्तावेज प्राप्त करने हेतु मुन्नी बाई सरपंच ग्राम पंचायत साक्षी, सचिव ग्राम पंचायत साखी, रूखमन, सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिहा, सचिव ग्राम पंचायत सेमरिहा, मुन्नी बाई, सरपंच ग्राम पंचायत भमला, सचिव ग्राम पंचायत भमला, मानसिंह माझी, शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर को धारा 91 दं0प्र0सं0 की नोटिस दी थी, जिनकी कार्बन प्रति प्र0पी0130 लगायत 137 हैं, जिनमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है।

39. अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी राजेन्द्र बरगाही द्वारा की गई कूटरचना एवं उससे बैंक से राशि आहरित किये जाने

की जांच हेतु आरोपी राजेन्द्र बरगाही से चेक में भरी गई लिखावट एवं सरपंच, सचिव के किये गये हस्ताक्षर का नमूना दिनांक 17.02.12 को लिया गया था को एस–01 लगायत एस–06, प्र0पी0–46 लगायत प्र0पी0–51 साक्षियों के समक्ष लिया था, जिसमें आरोपी राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर लिये थे। आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही से बैंक में प्रस्तुत प्रस्ताव के मिलान हेतु प्रस्ताव एस–07 लगायत एस–12 एवं एस027 प्र0पी0–52 लगायत प्र0पी0–56 साक्षियों के समक्ष लेख कराया था, जिसमें आरोपी राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर लिया था।

40– अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने महिपाल सिंह सचिव ग्राम पंचायत नौगवां के हस्ताक्षर नमूना साक्षियों के समक्ष 06 प्रतियों में प्र0पी0–67 लगायत 72 लिया था, दिनांक 17.02.12 को महिपाल सिंह की हस्तलिपि का नमूना साक्षियों के समक्ष 06 प्रतियों में महिपाल सिंह से लिखाकर प्र0पी0–73 लगायत 78 प्राप्त किया था। दिनांक 06.06.12 को सचिव महिपाल सिंह के हस्ताक्षर नमूना साक्षियों के समक्ष 06 प्रतियों प्र0पी0–79 लगायत 83 पुनः प्राप्त किया था। दिनांक 17.02.12 को साक्षीगण के समक्ष शोभेलाल सरपंच ग्राम पंचायत नवगवां के हस्ताक्षर नमूना 06 प्रतियों में प्र0पी084, प्र0पी028 लगायत पी032 लिया था,दिनांक 06.06.12 को साक्षीगण के समक्ष शोभेलाल सरपंच ग्राम पंचायत नवगवां का पुनः 05 प्रतियों में नमूना हस्ताक्षर प्राप्त प्र0पी0–33 लगायत प्र0पी0–37 प्राप्त किया था, जिसका समर्थन साक्षी शोभेलाल (अ0सा06) द्वारा भी अपने कथन में किया गया है।

41– अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने दिनांक06.04.12 को साक्षीगण के समक्ष जगदीश प्रधान सचिव ग्राम पंचायत भमला थाना जैतपुर के हस्ताक्षर का नमूना 07 प्रतियों में प्र0पी0–96 लगायत प्र0पी0–102 लिया था, उक्त दिनांक को ही जगदीश प्रधान सचिव ग्राम पंचायत भमला के लिखावट का नमूना साक्षियों के समक्ष 04 प्रतियों में प्र0पी0–103 लगायत 106 लिया था। दिनांक 08.04.12 को श्रीमती मुन्नी सरपंच ग्राम पंचायत साखी के हस्ताक्षर नमूना साक्षियों के समक्ष 02 प्रतियों में प्र0पी0–30 एवं प्र0पी0–31 लिया था। दिनांक 08.06.12 को पुनः श्रीमती मुन्नी सरपंच ग्राम पंचायत साखी के हस्ताक्षर नमूना साक्षियों के समक्ष 05 प्रतियों में प्र0पी0–32 एवं प्र0पी0–36 लिया था, जिसका समर्थन मुन्नी बाई (अ0सा013) ने भी अपने कथन में किया है। दिनांक 06.04.12 को साक्षीगण के समक्ष श्रीमती मुन्नी सरपंच ग्राम पंचायत भमला थाना जैतपुर के हस्ताक्षर का नमूना 02 प्रतियों में प्र0पी0–107 एवं प्र0पी0–108 लिया था। पुनः

दिनांक 06.06.12 को साक्षीगण के समक्ष श्रीमती मुन्नी सरपंच ग्राम पंचायत भमला के हस्ताक्षर का नमूना 05 प्रतियों में प्र0पी0–109 लगायत प्र0पी0–113 लिया था।

42– अभियोजन साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने दिनांक 08.04.12 को साक्षीगण के समक्ष जयप्रकाश नापित सचिव ग्राम पंचायत साखी थाना जैतपुर के हस्ताक्षर का नमूना 02 प्रतियों में प्र0पी0–108 एवं प्र0पी0–109, दिनांक 08.06.12 को साक्षीगण के समक्ष जयप्रकाश नापित सचिव ग्राम पंचायत साखी के हस्ताक्षर का नमूना 05 प्रतियों में प्र0पी0–110 एवं प्र0पी0–114, दिनांक 08.04.12 को साक्षीगण के समक्ष जयप्रकाश नापित सचिव ग्राम पंचायत साखी के लिखावट का नमूना 04 प्रतियों में प्र0पी0–115 लगायत प्र0पी0–118, दिनांक 06.04.12 को साक्षीगण के समक्ष मानसिंह पाव सचिव ग्राम पंचायत सेमरिहा के हस्ताक्षर का नमूना 02 प्रतियों में प्र0पी0–85 एवं प्र0पी0–86, दिनांक 06.06.12 को साक्षीगण के समक्ष मानसिंह पाव सचिव ग्राम पंचायत सेमरिहा के हस्ताक्षर का नमूना 05 प्रतियों में प्र0पी0–87 से प्र0पी0–91, दिनांक 06.04.12 को साक्षीगण के समक्ष मानसिंह पाव सचिव ग्राम पंचायत सेमरिहा के लिखावट का नमूना 04 प्रतियों में प्र0पी0–92 लगायत प्र0पी0–95, दिनांक 06.04.12 को साक्षीगण के समक्ष श्रीमती रूकमुन सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिहा के हस्ताक्षर का नमूना 02 प्रतियों में प्र0पी0–27 एवं प्र0पी0–28, दिनांक 06.06.12 को साक्षीगण के समक्ष श्रीमती रूकमुन सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिहा के पुनः हस्ताक्षर का नमूना 05 प्रतियों में प्र0पी0–29 लगायत प्र0पी0–34 लिया था, जिसका समर्थन रूकमन (अ0सा07) ने अपने कथन में किया है।

43– साक्षी जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) द्वारा आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही से साक्षी दीपू तिवारी (अ0सा02), पुरषोत्तम बैगा (अ0सा011) के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी09 लेख किया जाना व उसके घर से उसकी सूचना पर इस्तेमाली सील के दो रबड़ के टुकड़े जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी010 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी011 तैयार करना बताया है। उक्त दोनो साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, उन्हें पक्ष विरोधी घ ोषित किया गया है, किन्तु जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) का मेमोरेण्डम, जब्ती के संबंध में कथन प्रतिपरीक्षण में खण्डित नहीं है। जहां जी0के0शांडिल्य (अ0सा015) के कथन से उक्त तथ्य प्रमाणित है, वहां उक्त साक्षियों द्वारा समर्थन न भी किया गया हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुलिस साक्षी का कथन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस साक्षी है, जब तक कि प्रति परीक्षण में खुद उसका कथन अविश्वसनीय न हो। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह विरूद्ध म0प्र0 राज्य ए0आई0 आर0 1973, सुप्रीम कोर्ट 2783** के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अभिमत अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल इसलिये पुलिस अधिकारी विश्वसनीय नहीं माना जायेगा कि वह पुलिस साक्षी है, जब तक कि उसके बयान में कोई तात्विक विरोधाभास न हो या आरोपी से कोई रंजिश का प्रश्न स्थापित न किया गया हो।

44– अभियोजन साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख म0प्र0 के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना जैतपुर के अपराध क0 35/12 धारा 379, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 में जब्तशुदा दस्तावेजों का परीक्षण कर अपना अभिमत दिया जाना बताया है कि पुलिस अधीक्षक शहडोल के पत्र क0 1090/2012 दिनांक 08.05.12 प्र0पी057 एवं पत्र क0 1595/2012 दिनांक 13.07.2012 के द्वारा दस्तावेज प्राप्त हुये थे। पुलिस अधीक्षक के उक्त पत्रों के साथ विवादित दस्तावेजों के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हुये थे –

1. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का कास चेक क0 0037640 दिनांक 10.07.2011 राशि रू0 10,000 प्र0पी07 जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–1** से एवं हस्ताक्षरों को कमशः क्यू–18 एवं क्यू–22 से चिन्हित किया गया था।

2. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का चेक जमा करने का फार्म क0 041166 दिनांक 13.07.11 प्र0पी058 जिस पर विवादित लिखावट एवं हस्ताक्षर को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–2** से चिन्हित किया गया था।

3. ग्राम पंचायत नौगवां जनपद पंचायत बुढार जिला शहडोल का पारित प्रस्ताव क0 10 प्र0पी08 जो ग्राम पंचायत नवगवां के विज्ञापन हेतु भुगतान आहरण करने बावत् था जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–3** एवं हस्ताक्षरों को कमशः क्यू–19 एवं क्यू–23 से चिन्हित किया गया था।

4. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का कास चेक क0 0037637 दिनांक 28.04.2011 राशि रू0 15,000 प्र0पी023 जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–4** एवं हस्ताक्षरों को कमशः क्यू–26 एवं क्यू–28 से चिन्हित किया गया था।

5. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का चेक जमा करने का फार्म क0 100987 दिनांक 02.05.11 प्र0पी059 का जिस पर विवादित लिखावट एवं हस्ताक्षर को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–5** से चिन्हित किया गया था।

6. ग्राम पंचायत सेमरिहा जनपद पंचायत बुढार जिला शहडोल का पारित प्रस्ताव क0 8 प्र0पी024 जो राष्ट्रीय मासिक पत्रिका आखे का विज्ञापन बिल भुगतान हेतु मूलभूत की राशि आहरण करने बावत् था जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–6** एवं हस्ताक्षरों को कमशः क्यू–27 एवं क्यू–29 से चिन्हित किया गया था।

7. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का कास चेक क0 0037639 दिनांक 20.06.2011 राशि रू0 5,000 प्र0पी016 जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–7** एवं हस्ताक्षरों को कमशः क्यू–30 एवं क्यू–32 से चिन्हित किया गया था।

8. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का चेक जमा करने का फार्म क0 055691 दिनांक 24.06.11 प्र0पी060 का जिस पर विवादित लिखावट एवं हस्ताक्षर को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–8** से चिन्हित किया गया था।

9. ग्राम पंचायत भमला जनपद पंचायत बुढार जिला शहडोल का पारित प्रस्ताव क0 6 प्र0पी017 जो राष्ट्रीय मासिक पत्रिका आखे का विज्ञापन बिल भुगतान हेतु मूलभूत की राशि आहरण करने बावत् था जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–9** एवं हस्ताक्षरों को क्रमशः क्यू–31 एवं क्यू–33 से चिन्हित किया गया था।

10. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का क्रास चेक क0 174889 दिनांक 15.11.2011 राशि रू0 10,000 प्र0पी019 जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–10** एवं हस्ताक्षरों को क्रमशः क्यू–36 एवं क्यू–34 से चिन्हित किया गया था।

11. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का सवधि जमा खाते में 10,000 रूपये जमा करने की पर्ची दिनांक 09.12.11 प्र0पी061 जिस पर विवादित लिखावट एवं हस्ताक्षर को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–11** से चिन्हित किया गया था एवं इसी के पृष्ठ भाग की लिखावट प्र0पी062 को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–12** से चिन्हित किया गया था।

12. ग्राम पंचायत साखी जनपद पंचायत बुढार जिला शहडोल का पारित प्रस्ताव क0 8 प्र0पी063 जो राष्ट्रीय मासिक पत्रिका आखे का विज्ञापन समाचार की राशि भुगतान बावत् प्रस्ताव दिनांक 08.11.11 जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–13** एवं हस्ताक्षरों को क्रमशः क्यू–37 एवं क्यू–35 से चिन्हित किया गया था।

13. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का क्रास चेक क0 016200 दिनांक 03.09.2011 राशि रू0 12,000 प्र0पी020 जिस पर विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–14** एवं हस्ताक्षरों को क्रमशः क्यू–24 एवं क्यू–20 से चिन्हित किया गया था।

14. एक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जैतपुर जिला शहडोल का सावधि जमा खाते में 12,000 रूपये जमा करने की पर्ची दिनांक 09.09.11 प्र0पी064 जिस पर विवादित लिखावट एवं हस्ताक्षर को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–15** से चिन्हित किया गया था एवं इसी के पृष्ठ भाग प्र0पी065 की लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–16** से चिन्हित किया गया था।

15. ग्राम पंचायत नौगवां जनपद पंचायत बुढार जिला शहडोल का पारित प्रस्ताव क0 16 प्र0पी066 जो विज्ञापन हेतु भुगतान आहरण करने हेतु राशि रू0 12,000 की विवादित लिखावट को लाल घेरे से घेर कर **क्यू–17** एवं हस्ताक्षरों को क्रमशः क्यू–25 एवं क्यू–21 से चिन्हित किया गया था।

45— अभियोजन साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि विवादित हस्तलिपि एवं हस्ताक्षरों के मिलान के लिए निम्न व्यक्तियों के नमूना हस्तलेख, नमूना हस्ताक्षर में स्वाभाविक लेख एवं स्वाभाविक हस्ताक्षर प्राप्त हुये थे जिनको परीक्षण के समय लाल घेरे से घेर कर निम्नानुसार चिन्हित किया गया है —

1. महिपाल सिंह सचिव ग्राम पंचायत नौगवां के नमूना हस्ताक्षर 06 पृष्ठों में प्र0पी0 67 से 72 प्राप्त हुये थे जिनको लाल घेरे से घेर कर क्रमशः एस—13 लगायत एस—18 से चिन्हित किया गया था, नमूना हस्तलिपि 06 पृष्ठों में प्र0पी073 लगायत 78 प्राप्त हुये थे जिनको लाल घेरे से घेर कर एस—19 लगायत एस—24 से चिन्हित किया गया था। नमूना हस्ताक्षर 05 पृष्ठों में प्र0पी0—79 लगायत प्र0पी083 जिसे लाल घेरे से घेर कर एस—25 लगायत एस—29 से चिन्हित किया गया था।

2. शोभेलाल सरपंच ग्राम पंचायत नौगवां के नमूना हस्ताक्षर 11 पृष्ठों में प्र0पी0—84 ,प्र0पी0—28 लगायत प्र0पी0—37 प्राप्त हुये थे जिनको लाल घेरे से घेर कर क्रमशः एस—30 लगायत एस—40 से चिन्हित किया गया है। मान सिंह सचिव पंचायत सेमरिहा के हस्ताक्षर एवं लिखावट नमूना प्र0पी0—85 लगायत प्र0पी0—95 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—41 से एस—47 एवं एस—48 से एस—51 से चिन्हित किया गया। रूकमुन ग्राम पंचायत सेमरिहा के हस्ताक्षर प्र0पी0—27 लगायत प्र0पी0—34 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—52 से एस—58 से चिन्हित किया गया , जगदीश, सचिव ग्राम पंचायत भमला के नमूना हस्ताक्षर एवं नमूना लिखावट प्र0पी0—96 लगायत प्र0पी0—106 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—59 से एस—65 एवं नमूना लिखावट को लाल घेरे से घेरकर एस—66 से एस—69 से चिन्हित किया गया।

46— अभियोजन साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि मुन्नी सरपंच ग्राम पंचायत भमला के नमूना हस्ताक्षर प्र0पी0—107 लगायत प्र0पी0—113 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—77 से एस—83 से चिन्हित किया गया । जयप्रकाश नापित सचिव ग्राम पंचायत साखी के नमूना हस्ताक्षर एवं नमूना लिखावट प्र0पी0—108 लगायत प्र0पी0—118 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—84 से एस—90 एवं एस—91 से एस—94 से चिन्हित किया गया। श्रीमती मुन्नी सरपंच ग्राम पंचायत साखी के नमूना हस्ताक्षर प्र0पी0—30 लगायत प्र0पी0—36 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—70 से एस—76 से चिन्हित किया गया , आरोपी राजेन्द्र बरगाही के नमूना लिखावट एवं नमूना हस्ताक्षर प्र0पी0—46 से 51, 27, 52 से 56 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एस—1 से एस—12 तक एवं एस—1/1 से एस—12/1 तक चिन्हित किया गया।

47— अभियोजन साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत भमला के सरपंच मुन्नीबाई एवं जगदीश प्रधान सचिव ग्राम पंचायत भमला के हस्ताक्षरों प्र0पी0—119 को क्रमशः लाल घेरे से घेरकर एन—1 एवं एन—2 से चिन्हित किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिहा एवं सचिव ग्राम पंचायत सेमरिहा मानसिंह के हस्ताक्षरों प्र0पी0—120 को लाल घेरे से घेर कर एन—3 एवं एन—4 से चिन्हित किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत साखी मुन्नी एवं सचिव जयप्रकाश नापित ग्राम पंचायत साखी के हस्ताक्षरों प्र0पी0—121 को लाल घेरे से घेर कर एन—5 एवं एन—6 से चिन्हित किया गया। ग्राम पंचायत नवगवां के सरपंच शोभेलाल एवं सचिव महिपाल सिंह के हस्ताक्षरों प्र0पी0—122 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एन—7 एवं एन—8 से चिन्हित किया गया ।

48— अभियोजन साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि आरोपी राजेन्द्र बरगाही के सेन्ट्रल बैंक शाखा जैतपुर में खाता खोलने के फार्म में बने हस्ताक्षर प्र0पी0—123 को एन—9 से चिन्हित किया गया तथा सेन्ट्रल बैंक में 2500 रूपये दिनांक 22.11.11 को जमा करने की पर्ची के लिखावट एवं हस्ताक्षर प्र0पी0—124 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एन—10 से चिन्हित किया गया तथा उसके पृष्ठ भाग पर लिखे समस्त हस्तलिपि प्र0पी0—124—ए को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एन—11 से चिन्हित किया गया। दिनांक 22.11.2011 के चेक जिसमें 2500 रूपये की राशि भरी है सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया जिला शहडोल म0प्र0 के चेक में समस्त हस्तलिपि प्र.पी.—22 को लाल स्याही के घेरे से घेर कर एन—12 से चिन्हित किया गया। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की दिनांक 24.11.11 की राशि रू0 2500 की जमा पर्ची में लिखे समस्त लिखावट प्र0पी0—125 को लाल स्याही से घेरकर एन—13 से चिन्हित किया। दिनांक 22.11.11 की रूपये 2500 का चेक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में लिखे समस्त हस्तलिपि प्र0पी0—20 को लाल स्याही से घेरकर एन—14 से चिन्हित किया गया । कार्यालय ग्राम पंचायत बहगड़ के नकल कार्यवाही दिनांक 15. 11.11 में लिखे हुये राजेन्द्र सिंह उसके द्वारा सुधारा गया प्र0पी0—126 को लाल स्याही के घेरे से घेरकर एन—15 से चिन्हित किया गया था।

49— अभियोजन साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि उसके द्धारा प्राप्त किये गये विवादित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया तथा प्राप्त हुये मानक दस्तावेजों पर उनके तुलनात्मक अध्ययन कर अभिमत के आधार नौं पृष्ठों में प्र0पी0—128 तैयार कर उनके आधार पर अपना अभिमत दो पृष्ठों में प्र0पी0—127 तैयार किया था जिसमें उसने पाया था कि —

1. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस—13 लगायत एस—29 एवं एन—8 लिखा है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 18 लगायत क्यू 21 तक नहीं लिखे है।
2. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस—30 लगायत एस—40 एवं एन—7 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 22 लगायत क्यू 25 नहीं लिखे हैं।

3. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–41 लगायत एस–51 एवं एन–4 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 26 लगायत क्यू 27 नहीं लिखे हैं।
4. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–52 लगायत एस–58 एवं एन–3 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 28 लगायत क्यू 29 नहीं लिखे हैं।
5. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–59 लगायत एस–69 एवं एन–2 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 30 लगायत क्यू 31 नहीं लिखे हैं।
6. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–77 लगायत एस–83 एवं एन–1 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 32 लगायत क्यू 33 नहीं लिखे हैं।
7. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–84 लगायत एस–94 एवं एन–6 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 34 लगायत क्यू 35 नहीं लिखे हैं।
8. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–70 लगायत एस–76 एवं एन–5 लेख किया है उस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये विवादित हस्ताक्षर क्यू 36 लगायत क्यू 37 नहीं लिखे हैं।
9. जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से घिरे हुये एस–1/1 लगायत एस–12/1 एवं एन–9, एन–10, एन–13, एन–9ए हस्ताक्षर लिखे है उस व्यक्ति ने विवादित हस्ताक्षर क्यू–2, क्यू–5, क्यू–8, क्यू–11 एवं क्यू 15 में **केवल हस्ताक्षर लिखे है**।
10. विवादित दस्तावेज क्यू–1, क्यू–3, क्यू–4, क्यू–6, क्यू–7, क्यू–9, क्यू–10, क्य16 13, क्यू 14, क्यू 17 (हिन्दी लिखावट) एवं क्यू–2, क्यू–5, क्यू 8, क्यू–11, क्यू 12, क्यू 15, क्यू 16 (अंग्रेजी लिखावट) के संबंध में उपलब्ध आकड़ो के आधार पर कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी। यद्यपि एस–1 से एस–12 एवं एन–10 से एन–15 में कुछ समानतायें है किन्तु प्रदाय किये स्टैण्डर्ड में सभी समानताओं की पर्याप्त व्याख्या नहीं होती है और अक्षरों का स्वाभाविक अंतर की भी व्याख्या नहीं होती है।

50– साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) के कथन से प्र0पी07 के विवादित चेक क्र0 0037640 दिनांक 10.07.2011 राशि 10,000/– रूपये, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच ग्राम पंचायत की सील में नौगवॉ हाथ से लेख किया गया है, का विवरण नाम राजेन्द्र सिंह, शब्दों में दस हजार रूपया व अंकों में 10,000/– रूपया के लिखावट के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी गई। किन्तु अभिमत् में यह स्पष्ट किया गया है कि स्टैण्डर्ड हस्ताक्षर एस–13 लगायत एस–29, स्वाभाविक हस्ताक्षर एन–8 जो महिपाल सिंह, सचिव ग्राम पंचायत नौगवॉ के हस्ताक्षर हैं। प्र0पी07 के चेक में विवादित हस्ताक्षर, जिन्हें क्यू–18 से चिन्हिंत किया गया है, वह हस्ताक्षर उसके द्वारा नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार एस–30 लगायत ए–40 जो कि मानक हस्ताक्षर ग्राम पंचायत सरपंच

नौगवॉ शोभेलाल के हैं, व एन–7 स्वाभाविक हस्ताक्षर हैं, प्र0पी07 के चेक में सरपंच शोभेलाल के विवादित हस्ताक्षर क्यू–22 उसके द्वारा नहीं किया जाना पाया गया अर्थात् प्र0पी07 के विवादित चेक में जो क्यू–18 में ए से ए भाग के हस्ताक्षर सचिव, महिपाल सिंह के और क्यू–22 में बी से बी भाग के शोभेलाल सरपंच के हस्ताक्षर, जो बने हुए हैं, वह उनके द्वारा नहीं किये गये हैं। इसी तरह दिनांक 25.06.2011 के प्रस्ताव क0 10 प्र0पी08 में क्यू–19 के ए से ए भाग के हस्ताक्षर सचिव महिपाल सिंह एवं क्यू–23 के बी से बी भाग पर सरपंच शोभेलाल के हस्ताक्षर उनके द्वारा नहीं किये गये हैं। साक्षी महिपाल सिंह, सचिव (अ0सा01), शोभेलाल, सरपंच (अ0सा06/10) द्वारा अपने कथनों में भी बताया गया है कि चेक क0 37640 प्र0पी07 को उनके द्वारा जारी नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, न ही प्र0पी08 का प्रस्ताव उनके ग्राम पंचायत में पारित किया गया है। प्र0पी08 के प्रस्ताव में भी उनके हस्ताक्षर नहीं है। प्रति परीक्षण में इस संबंध में साक्षियों के कथन खण्डित नहीं है। ग्राम पंचायत नौगवॉ के प्रस्ताव रजिस्टर प्र0पी05, जिसकी प्रति प्र0पी05 सी है, में भी दिनांक 26.05.2011 का प्रस्ताव क0010 प्र0पी08 अनुसार पारित नहीं किया गया है, जिससे प्रस्ताव प्र0पी08 फर्जी कूटरचित है।

51– साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) द्वारा अपने अभिमत की कण्डिका 09 में यह बताया गया है कि स्टैण्डर्ड 1/1 लगायत एस–12/1, प्र0पी046 लगायत 56 जो कि राजेन्द्र सिंह के स्टैण्डर्ड हस्ताक्षर नमूना हैं तथा एस–9, 10, 13, 91, प्र0पी0123, 124, 125 जो राजेन्द्र सिंह के स्वाभाविक हस्ताक्षर हैं, उससे विवादित हस्ताक्षर क्यू–2 जो कि चेक जमा पर्ची क0 041166 दिनांक 13.07.2011 प्र0पी058 जो विवादित चेक क0 0037640 राशि 10,000/– रूपये सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में जमा करने की पर्ची है, उसमें बने राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर मिलान करते हैं अर्थात् उसके द्वारा ही विवादित चेक प्र0पी07 अपने खाता में जमा करने हेतु बैंक में दिनांक 13.07.2011 को प्र0पी058 की जमा पर्ची से प्रस्तुत किया गया है और उक्त राशि आरोपी के बैंक खाता क0 8842 में दिनांक 13.07.2011 को जमा हुई है, जैसा कि आरोपी के बैंक खाता स्टेटमेंट प्र0पी0133 से स्पष्ट है, जिसे साक्षी मान सिंह माझी बैंक मैनेजर (अ0सा017) द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह भी प्रमाणित किया गया है कि आरोपी ने बैंक से निकासी पर्ची दिनांक 14.07.2011 प्र0पी039 से 10,000/– रूपये निकाला गया है, यह तथ्य स्टेटमेंट प्र0पी0 133 से भी स्पष्ट है।

52– आरोपी राजेन्द्र सिंह के नाम से विवादित चेक क0 37640 प्र0पी07 ग्राम पंचायत नौगवॉ द्वारा जारी नहीं किया गया और न ही उसमें सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर हैं। उक्त चेक ग्राम पंचायत कर्रावन को बैंक से

जारी किया गया था, जैसा कि सचिव बाबू सिंह (अ0सा08) ने अपने कथन में बताया है, अर्थात् उक्त चेक ग्राम पंचायत नौगवॉ के खाता क्रमांक 6799 के लिये जारी नहीं किया गया था। जैसा कि मानसिंह माझी (अ0सा017) ने भी अपने कथन में बताया है, बल्कि उक्त चेक ग्राम पंचायत कर्रावन के लिये जारी किया गया था। ग्राम पंचायत कर्रावन का खाता क0 6550 है, जिसके लिये उक्त चेक जारी हुआ था। आरोपी ने प्र0पी07 का चेक जो सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत नौगवॉ के हस्ताक्षर से दिनांक 10.07.2011 को भुगतान हेतु बैंक में पेश किया गया है, उसमें खाता नं0 6799 लिखा गया है, जो ग्राम पंचायत नौगवॉ का खाता है, जब कि चेक 37640 कर्रावन ग्राम पंचायत के खाता क0 6550 का है, उक्त चेक, नौगवॉ के खाता क0 6799 को जारी नहीं हुआ है। साक्षी महिपाल सिंह (अ0सा01) व सरपंच शोभेलाल (अ0सा06/10) के प्रति परीक्षण में ऐसा कहीं नहीं आया कि उक्त विवादित चेक प्र0पी07 उनके द्वारा 10,000/– रूपये भुगतान हेतु आरोपी को उनके पंचायत के खाता क्रमांक 6799 से भुगतान हेतु जारी किया गया है और प्र0पी08 का प्रस्ताव इसके लिये दिनांक 25.06.2011 को पारित किया गया है। आरोपी ने उक्त चेक को अपने खाते में भुगतान हेतु विवादित पर्ची क्यू–2, प्र0पी058 से बैंक में जमा किया है, जिसके हस्ताक्षर, आरोपी के स्टैण्डर्ड व स्वाभाविक हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। जैसा कि ए0 के0 पौराणिक (अ0सा016) के कथन एवं अभिमत प्र0पी0127 की कण्डिका 9 से स्पष्ट है। प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि आरोपी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता अर्थात् भिन्न है, आरोपी ने अपने अभियुक्त परीक्षण में भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उसके द्वारा विवादित चेक भुगतान हेतु प्र0पी058 की पर्ची अनुसार जमा नहीं किया गया। जिससे माना वे कि जमा पर्ची क्यू–2 प्र0पी058 में अपने हस्ताक्षर कर अपने खाता में राशि आहरित करने के लिये विवादित चेक क्रमांक 37640 प्र0पी07 दिनांक 10.07.2011 को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर में जमा नहीं किया था।

53– आरोपी द्वारा यद्यपि प्र0पी07 के चेक में विवादित लिखावट स्वयं लिखा गया है व विवादित हस्ताक्षर स्वयं किये गये हैं व प्र0पी08 के प्रस्ताव में स्वयं लेखकर हस्ताक्षर सचिव, सरपंच के किये गये हैं, यह तथ्य हस्तलिपि विशेषज्ञ साक्षी ए0के0पौराणिक (अ0सा016) के कथन एवं प्र0पी0127 के अभिमत में निश्चित राय नहीं दी गई है, क्योंकि आरोपी के लिये गये मानक की सभी समानताएं पर्याप्त संख्या में नहीं होती थी और अच्छरों का स्वाभाविक अंतर की व्याख्या भी नहीं हो पाई। किन्तु आरोपी द्वारा विवादित चेक अपने नाम से जारी बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिये बैंक में अपने खाते में दिनांक 13.07.2011 को 10,000/– रूपया राशि जमा कराया और उसकी निकासी भी दिनांक 14.07.2011 को किया है। जैसा कि प्र0पी0133 के उसके खाता क0

8842 के विवरण से प्रमाणित है, जिसका कोई स्पष्टीकरण आरोपी की ओर से नहीं दिया गया कि उसके खाते में राशि विवादित चेक के माध्यम से कैसे जमा हुई है, उसे बैंक मैनेजर मानसिंह माझी (अ0सा017) द्वारा प्र0पी0129 का नोटिस भी दिया गया था, किन्तु उसका कोई जबाब नहीं दिया। यद्यपि उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि आरोपी ने नोटिस के बाद 10,000/– रूपये चेक की राशि जमा करा दी गई थी, जैसा कि प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में स्वीकार किया है।

54– आरोपी राजेन्द्र बरगाही द्वारा विवादित चेक प्र0पी07 राशि 10,000/– रूपये एवं प्र0पी08 का ग्राम पंचायत नौगवॉ का प्रस्ताव सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में पेश कर अपने खाता में राशि जमा कराया और निकासी किया है, जब कि उक्त चेक व प्रस्ताव फर्जी, कूटरचित थे। उक्त चेक ग्राम पंचायत कर्रावन का चोरी गया चेक था, ग्राम पंचायत नौगवॉ से पंचायत खाते से जारी नहीं हुआ और न ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ। आरोपी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर को प्रवंचित कर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर राशि प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया था। जब कि वह जानता था कि चेक कूटरचित व मूल्यवान सम्पत्ति है, कूटरचना की गई है। सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर कूटरचित किये गये हैं और सील लगाई गई है। कूटरचित चेक होने की जानकारी थी या विश्वास करने का उसके पास कारण था, इसके बाद भी असली के रूप में उपयोग किया। ग्राम पंचायत नौगवॉ के सचिव महिपाल सिंह व सरपंच शोभेलाल द्वारा चेक न तो जारी किया गया और न ही आरोपी के पक्ष में दस हजार रूपये भुगतान हेतु कोई प्रस्ताव पारित किया गया।

55– आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही द्वारा उक्त फर्जी कूटरचित चेक व प्रस्ताव में जो सील लगाई गई है, उसमें सरपंच, ग्राम पंचायत लेख है, किन्तु नौगवॉ शब्द हाथ से भरा गया है। उक्त सील जो फर्जी कूटरचित चेक प्र0पी07 व प्रस्ताव प्र0पी08 में रह गई है, उसे विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान प्र0पी010 के जब्ती पंचनामा अनुसार आरोपी के मेमोरेण्डम सूचना के आधार पर जब्त की गई है, जैसा कि विवेचक जी0के0शाडिल्य (अ0सा015) के कथन व प्र0पी010 के जब्ती पंचनामा से प्रमाणित है। प्रति परीक्षण में इस संबंध में कोई विरोधाभासी तथ्य नहीं आए हैं कि आरोपी के पास से प्र0पी010 के जब्ती पत्रक अनुसार सील इस्तेमाली, जिसमें सचिव, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल म0प्र0 एवं सरपंच ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल म0प्र0 लेख था। दोनो सील में स्थान लेख नहीं है, इसी का उपयोग विवादित चेक व प्रस्ताव में किया गया है और स्थान हाथ से भरा गया है।

56— आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही के द्वारा विवादित चेक प्र0पी07 की राशि उसके खाता में जमा करने हेतु विवादित प्रस्ताव प्र0पी08 के साथ सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में दिया गया है और उक्त चेक की राशि उसके खाता 8842 में दिनांक 13.07.2011 को जमा हुई है, जिसके उसके द्वारा दिनांक 14.07.2011 को आहरण किया गया है, जिससे जहां आरोपी के खाते में विवादित चेक से राशि जमा हुई है, जो ग्राम पंचायत कर्रावन का चोरी गया चेक है, आरोपी ने राशि जमा कर निकाला भी है, जिससे आरोपी पर प्रमाण भार माना जाएगा कि उसने चेक चोरी कर कूटरचित व फर्जी तैयार कर फर्जी सील लगाकर बैंक में असली के रूप में जमा नहीं किया, किन्तु उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे यह माना जाएगा कि आरोपी ने अपराध किया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **विनय मूर्ति बनाम मद्रास राज्य 2010 क्रिमिनल लॉ जनरल 389 एनओसी.** अवलोकनीय है, जिसमें उक्त आशय का मत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जहां आरोपी चेक को चुराकर, चेक भरकर, राशि जमा कर निकाला है, ऐसी दशा में आरोपी पर प्रमाण भार माना जाएगा कि आरोपी साबित करे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।

57— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूंठा फंसाया गया है, किन्तु यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी ने इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियोजन साक्षी सचिव बाबू सिंह (अ0सा08), सरपंच बसंत (अ0सा03) ग्राम पंचायत कर्रावन के कथनों व प्र0पी02 की रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत कर्रावन के 06 चेक चोरी हुए थे, जिसमें विवादित प्र0पी07 का चेक भी उनकी पंचायत का था, जो खाता क्रमांक 6550 के लिये जारी हुआ था। जब कि आरोपी ने ग्राम पंचायत नौगवॉ के खाता क्रमांक 6799 लेखकर विवादित चेक में अपना नाम, राशि भरकर ग्राम पंचायत नौगवॉ के सचिव महिपाल सिंह व सरपंच शोभेलाल के हस्ताक्षर बनाकर अपने खाता में राशि जमा कराई गई है, उसके खाता, स्टेटमेंट प्र0पी0133 से भी प्रमाणित है।

58— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही से राशि उसके खाता में जमा हुई थी किन्तु बैंक कर्मचारियों को आरोपी नहीं बनाया गया, आरोपी को नोटिस देने के बाद उसके द्वारा राशि जमा भी करा दी गई है, जिससे उसके विरूद्ध कोई अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। यह सही है कि मान सिंह माझी बैंक मैनेजर (अ0सा017) के प्रतिपरीक्षण के पैरा—7 एवं 8 में यह बताया है कि चेक व प्रस्ताव ग्राम पंचायत नौगवॉ का पेश होने पर भुगतान त्रुटिवश

बैंक द्वारा किये जाने से राशि प्राप्ति के संबंध में आरोपी को नोटिस दी गई थी, जिसके बाद आरोपी ने 10,000/– रूपये जमा कर दिये थे। महिपाल सिंह, सचिव (अ0सा01) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा 13 में स्वीकार किया है कि 10,000/– रूपये की राशि बैंक वालों ने उनके खाते में डाल दिया था। किन्तु मान सिंह माझी (अ0सा017) के कथन से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा विवादित चेक प्र0पी07, ग्राम पंचायत नौगवॉ के प्रस्ताव प्र0पी08 के साथ जमा पर्ची प्र0पी058 के साथ दिनांक 13.07.2011 को सेंट्रल बैंक शाखा जैतपुर में जमा किया था। उक्त चेक नौगवॉ को जारी नहीं किया गया था बल्कि ग्राम पंचायत कर्रावन का था। प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर राशि उसके खाते में जमा की गई थी, बाद में जानकारी हुई थी कि गलत भुगतान प्राप्त कर लिया है। चूंकि प्रथम दृष्टया चेक व प्रस्ताव सही पाए जाने पर आरोपी के खाते में राशि जमा हुई थी, आरोपी ने यह जानते हुए कि उक्त चेक व प्रस्ताव फर्जी, कूटरचित है, भुगतान हेतु पेश किया था और आरोपी के खाते में राशि भुगतान भी हुई है और उसने निकाला भी है, जिससे आरोपी का सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिये बेईमानीपूर्वक आशय प्रकट होता है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि बैंक वालों की गल्ती से विवादित चेक की राशि उसके खाते में जमा हुई थी और उसके द्वारा नोटिस मिलने पर जमा कराए जाने से कोई अपराध नहीं बनता है। केवल राशि जमा करने से यह नहीं माना जा सकता कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि फर्जी कूटरचित चेक के माध्यम से अपने खाते में राशि जमा कराना और निकाला जाना प्रमाणित होता है।

59– आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत कर्रावन से विवादित चेक के साथ अन्य 06 चेक और चोरी किये गये थे, जो उसके द्वारा चेक क0 37639 प्र0पी016 राशि 5,000/– रूपये, ग्राम पंचायत भमला का खाता नं0 6734 लेखकर, चेक क0 37637 प्र0पी023, राशि 15,000/– रूपये, ग्राम पंचायत सेमरिहा के खाता क0 6717 को लेखकर, चेक क0 174889 प्र0पी019 ग्राम पंचायत साखी का खाता क08250 10,000/– रूपये लेखकर बैंक में जमा कराया था। किन्तु उक्त ग्राम पंचायत भमला, सेमरिहा, साखी की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। यद्य पि ग्राम पंचायत भमला के सरपंच जगदीश प्रधान, सचिव (अ0सा05), मुन्नी बाई सरपंच (अ0सा04), ग्राम पंचायत सेमरिहा के सचिव मानसिंह पाव (अ0सा09), रूकमन बाई सरपंच (अ0सा07) ग्राम पंचायत साखी के सचिव जयप्रकाश नापित (अ0सा012) मुन्नी बाई सरपंच (अ0सा013) ने अपने कथनों में उक्त चेक आरोपी के नाम से जारी नहीं किया जाना बताया है, जिससे उक्त चेकों के संबंध में विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है।

60– अभियोजन साक्ष्य से यह युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित

है कि आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही ने ग्राम कर्रावन में ग्राम पंचायत कार्यालय जो ग्राम पंचायत की संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, दिनांक 10.07.2011 के पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत कर्रावन के आधिपत्य की मूल्यवान सम्पत्ति खाता क्रमांक 6550 की चेकबुक का चेक क्र0 37640 को सचिव की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक उसके आधिपत्य से स्वयं को सदोष लाभ अर्जित करने के लिये हटाकर चोरी का अपराध कारित किया, उक्त चेक में दिनांक 10.07.2011 के पूर्व सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर की कूटरचना कर फर्जी कूटरचित सील लगाकर उक्त कूटरचित चेक को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुर को प्रवंचित कर उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर 10,000/– रूपये की राशि प्राप्त किया, उक्त मूल्यवान सम्पत्ति चेक की कूटरचना की **तथा** उक्त चेक में सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर कर व सील लगाकर कूटरचना इस प्रयोजन से किया कि उसका उपयोग मूल्यवान प्रतिभूति चेक क्र0 37640 खाता क्रमांक 6799 से छल कर राशि निकाली जा सके तथा यह जानते हुए कि उक्त चेक फर्जी कूटरचित हैं या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि कूटरचित है उक्त चेक को कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाया जाकर राशि निकासी की गई, जो कि भा0दं0सं0 की धारा 380, 420, 467, 472 एवं 471 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

61– अतः आरोपी राजेन्द्र बरगाही को भा0दं0सं0 की धारा 380, 420, 467, 472 एवं 471 के तहत् दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी के जमानत, मुचलके निरस्त किये जाते हैं। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया।

62– सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ समय के लिये स्थगित किया जाता है।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
शहडोल (म0प्र0)

63– दण्ड के प्रश्न पर आरोपी राजेन्द्र सिंह बरगाही एवं उसके विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश शुक्ला को तथा अभियोजन की तरफ से श्री एस0के0त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक को सुना गया। आरोपी की तरफ से निवेदन किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है, वह नवयुवक व्यक्ति है तथा उसकी पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है अतः उन्हें न्यूनतम् दण्ड दिया जावे। अभियोजन की तरफ से श्री त्रिपाठी द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी अनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत से चेक चुराकर, सचिव, सरपंच के फर्जी कूटरचित हस्ताक्षर कर, फर्जी सील

लगाकर कूटरचना कर यह जानते हुए कि चेक फर्जी कूटरचित है, उसे असली के रूप में उपयोग कर बैंक में जमा कर, राशि की निकासी की है, जिससे अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी को अधिकतम् दण्ड से दण्डित किया जावे।

64— आरोपी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, कि किसी अन्य अपराध में पूर्व में दोषी ठहराया गया है, जिससे प्रथम अपराधी है, गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः राजेन्द्र सिंह बरगाही को भारतीय दण्ड संहिता की क्रमशः धारा 380, 420, 467, 472, 471 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुये क्रमशः एक वर्ष, तीन वर्ष, तीन वर्ष, तीन वर्ष एवं तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं क्रमशः 2,000/—, 3,000/—, 3,000/—, 3,000/—, 3,000/— रूपये कुल 14,000/— रूपये (चौदह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को प्रत्येक अपराध में क्रमशः तीन माह, चार माह, चार माह, चार माह, चार माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे। आरोपी को दी गई सभी सजाएं एक साथ भुगताई जावेगी। निरोध में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जावेगी। धारा 428 दं0प्र0सं0 के साथ सजा वारण्ट तैयार कर आरोपी को सजा भुगतने हेतु, जिला जेल शहडोल भेजा जावे।

65— प्रकरण में जब्तसुदा दस्तावेज अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सत्यापित प्रति पेश करने पर संबंधित को वापिस की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित घोषित।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
शहडोल (म0प्र0)

मेंरे निर्देश पर टंकित ।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
शहडोल (म0प्र0)

Bhoore Lal Prajapati

Digitally signed by Bhoore Lal Prajapati
DN: cn=Bhoore Lal Prajapati, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, st=Madhya Pradesh, c=IN